3/4/18

पत्रावली पेश हुई। कई अवसर दिलाये गये, वकील वादी एवं वादीगण अनु०। अतः पत्रावली अदम हाजरी व मुकदमे की में खारिज की जाती है। पत्रावली आवश्यक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Rai Meena
Date: 2025.08.16 14:31:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)